भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी नहीं है, सूचना के अधिकार में हुआ खुलासा

इन्दौर। हमारे देश में अधिकांश लोग हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा मानते हैं। कई किताबों में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बताकर पढ़ाया भी जाता है। देश की सर्वाधिक जनसंख्या हिन्दी बोलती, सुनती और समझती है। लेकिन यह भी एक सत्य है कि हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है ही नहीं।

मातृभाषा उन्नयन संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. अर्पण जैन 'अविचल' को सूचना के अधिकार के तहत भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा मिली सूचना के अनुसार भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिन्दी यानी राजकाज की भाषा मात्र है और लिपि देवनागरी है।

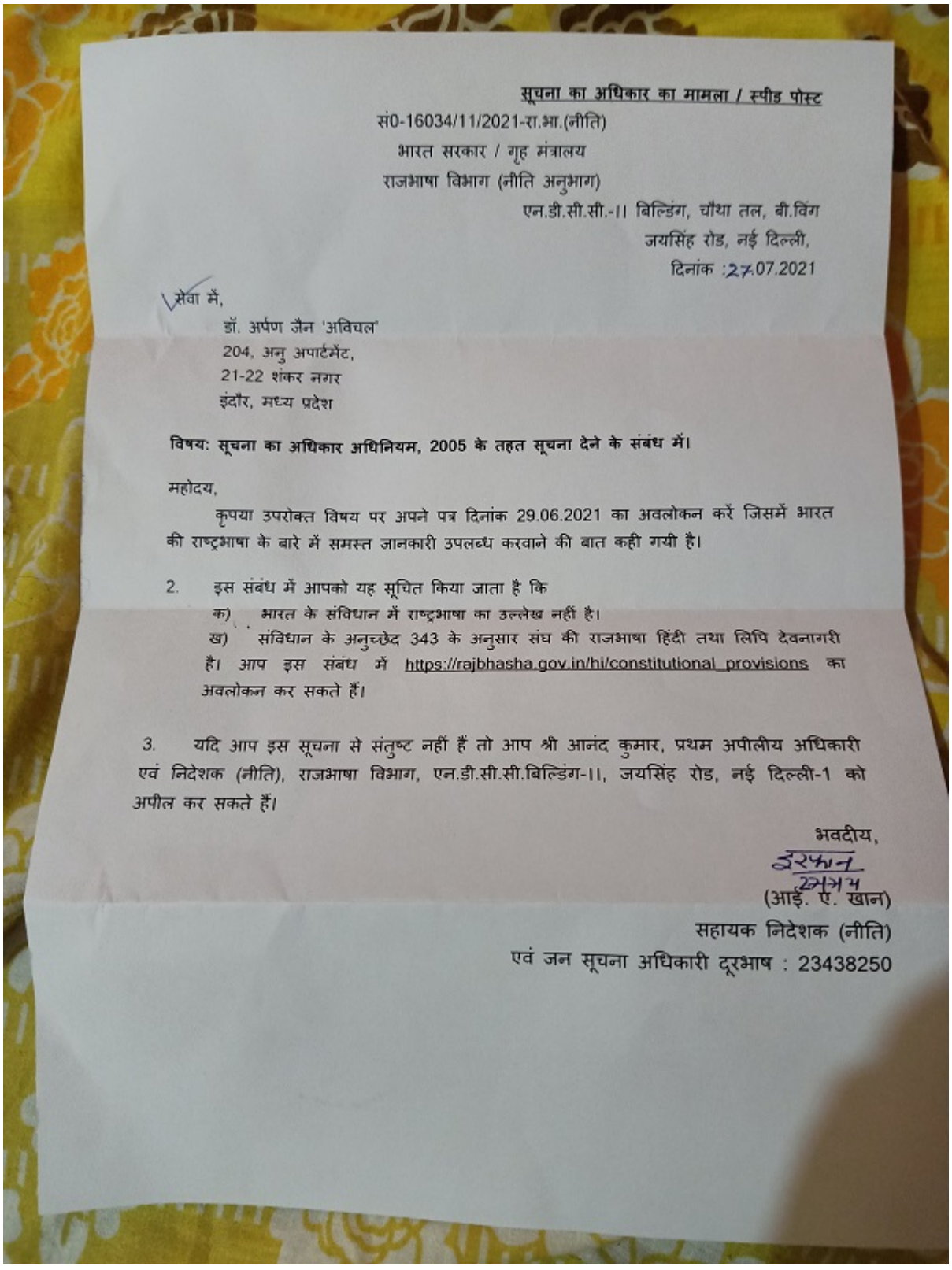

सूचना का अधिकार का मामला / स्पीड पोस्ट

सं0-16034/11/2021-रा.भा.(नीति)

भारत सरकार / गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग (नीति अनुभाग)

एन.डी.सी.सी.-।। बिल्डिंग, चौथा तल, बी.विंग

जयसिंह रोड, नई दिल्ली,

दिनांक :27.07.2021

सेवा में,

डॉ. अर्पण जैन 'अविचल'

204, अनु अपार्टमेंट,

21-22 शंकर नगर

इंदौर, मध्य प्रदेश

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना देने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर अपने पत्र दिनांक 29.06.2021 का अवलोकन करें जिसमें भारत की राष्ट्रभाषा के बारे में समस्त जानकारी उपलब्ध करवाने की बात कही गयी है।

2. इस संबंध में आपको यह सूचित किया जाता है कि

क) भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है।

ख) संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। आप इस संबंध में https://rajbhasha.gov.in/hi/constitutional_provisions का अवलोकन कर सकते हैं।

3. यदि आप इस सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो आप श्री आनंद कुमार, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं निदेशक (नीति), राजभाषा विभाग, एन.डी.सी.सी.बिल्डिंग-।।, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-1 को अपील कर सकते हैं।

भवदीय,

(आई. ए. खान)

सहायक निदेशक (नीति)

एवं जन सूचना अधिकारी दूरभाष : 23438250

डॉ. अर्पण जैन 'अविचल' के अनुसार 'भारत की आज़ादी के पहले से ही महात्मा गाँधी जी हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करते आए और आज़ादी के बाद भी इसके लिए आन्दोलन भी चलाए गए किन्तु दुर्भाग्य से आज तक हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा नहीं माना गया। आख़िर क्या राजनैतिक कारण इतने बड़े हो गए कि देश की अस्मिता और परिचय के साथ खिलवाड़ हो जाए!'

भारत सरकार के इस खुलासे से आहत डॉ. अर्पण जैन ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए

मातृभाषा उन्नयन संस्थान के माध्यम से हिन्दी प्रचार का बीड़ा उठाया है और लोगों के हस्ताक्षर हिन्दी में बदलवा रहे हैं, साथ ही, जन समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। भविष्य में संस्थान न्यायिक दहलीज़ पर भी हिन्दी का पक्ष रखेगा।